श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–29.04.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे राज्य खेल अकादमी–सह–अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति–

1. श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, खेल विभाग।
2. श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
3. श्री संजीव कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
4. श्री मिथिलेश कुमार, सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर।

कार्यवाही

सर्वप्रथम संयुक्त सचिव द्वारा सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर से राज्य खेल अकादमी, राजगीर के लंबित मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तदोपरान्त निम्न कार्यवाही अभिलिखित की गई।

1. खेल अकादमी के अवसंरचनाओं के आरक्षण का दर निर्धारण

सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर द्वारा बताया गया कि भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के आरक्षण दर एवं अन्य अकादमी के खेल अवसंरचनाओं के निर्धारित दरों का विश्लेषण कर प्रस्ताव विभाग को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है।

उपर्युक्त के संबंध में संयुक्त सचिव, खेल विभाग द्वारा संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को संचिका में शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

2. वार्षिक कैलेण्डर एवं अन्य खेलकूद

सचिव, खेल विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में राज्य खेल अकादमी, राजगीर में होने वाली खेल गतिविधियों से संबंधित वार्षिक कैलेंडर तैयार करते हुए निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर का अनुमोदन प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है।

उपर्युक्त के संबंध में संयुक्त सचिव द्वारा संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

3. अकादमी में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन

सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि लेखा अधिकारी एवं लेखापाल तथा अन्य कर्मी के नहीं होने के कारण कार्य ससमय निष्पादन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

संयुक्त सचिव, खेल विभाग द्वारा अकादमी कार्यालय, राजगीर को सुचारू रूप से संचालन हेतु अकादमी में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से पाँच लिपिकों की प्रतिनियुक्त करने तथा एक लेखा अधिकारी एवं एक लेखापाल की प्रतिनियुक्ति हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

4. संवर्ग नियमावली का गठन

सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर के द्वारा सूचित किया गया की क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग नियमावली एवं लिपिकीय संवर्ग नियमावली का गठन कर लिया गया है। सांइन्टीफिक ऑफिसर, लाईब्रेरियन एवं संग्रहालयाध्यक्ष की प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित विभाग से अनुरोध किया जाना है।

उपर्युक्त के संबंध में बताया गया कि क्रीड़ा प्रशिक्षक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का चयन हेतु विज्ञापन हो गया है। सांइन्टीफिक ऑफिसर के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली से एवं संग्रहालयाध्यक्ष की प्रतिनियुक्ति हेतु कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना से पत्राचार पूर्व में किया जा चुका है। स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

5. खिलाड़ियों की आवश्यकताएं

सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी द्वारा बताया गया कि अकादमी में अवस्थित अस्पताल में एक स्पोर्टस मेडिसिन चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति, फिजियोथेरेपी

उपकरण, क्रय एवं अधिष्ठापन तथा अकादमी के पदाधिकारियों एवं खिलाड़ियों के सुविधा हेतु वाहन, 01 एम्बुलेंन्स एवं 02 बैटरी संचालित वूडकार्ट का क्रय करने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त के संबंध में संयुक्त सचिव, खेल विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि एक स्पोर्टस मेडिसिन चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति, फिजियोथेरेपी की प्रतिनियुक्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया जाय तथा वाहन आदि क्रय से संबंधित कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाय। इससे संबंधित संचिका शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

6. राज्य खेल अकादमी का **Land of Agreement**

राज्य खेल अकादमी में **20 KL DG HSD YARD** के अधिष्ठापन हेतु **Land of Agreement** की प्रतिलिपि भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने हेतु विभाग स्तर पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

उपर्युक्त के संबंध में सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर को निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी, राजगीर से समन्वय स्थापित कर दाखिल–खारिज का कार्य शीघ्र पूर्ण करायी जाय। इससे संबंधित पत्र जिला पदाधिकारी, नालंदा को भेजे जाने का निदेश दिया गया।

7. राज्य खेल अकादमी में खेल विज्ञान अनुसंधान उपकरण अधिष्ठापन

सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी के द्वारा बताया गया कि खेल अकादमी में खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन में सहयोग एवं प्रतिभा खोज कार्य हेतु खेल विज्ञान अनुसंधान उपकरणों के क्रय की आवश्यकता है। उपकरणों के अधिष्ठापन हेतु प्रशासनिक भवन में समुचित संख्या में हॉल एवं कमरों की उपलब्धता है।

उपर्युक्त के संबंध में सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर को निदेश दिया गया कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के माध्यम से तकनीकी सहयोग प्राप्त कर शीघ्र ही उपकरणों का क्रय किया जाय।

8. <u>राज्य खेल अकादमी हेतु वाहन क्रय के संबंध में</u>

सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि अकादमी के खिलाड़ियों के सुविधा कराने के लिए वाहन क्रय किये जाने के संबंध में प्रशासी पदवर्ग समिति से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्त के संबंध में संयुक्त सचिव द्वारा प्रशासी पदवर्ग समिति से वाहन क्रय करने संबंधित आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

सहायक निदेशक के प्रयोगार्थ आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से वाहन रखने का निदेश दिया गया।

9. <u>विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु राशि का आवंटन</u>

राज्य खेल अकादमी, राजगीर के सुगम संचालन हेतु खर्च किए गये विद्युत के विरूद्ध में कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल नालंदा के द्वारा उपलब्ध कराये गये विद्युत विपत्र के आलोक में **₹** 2,33,75,461/- (दो करोड़ तेतीस लाख पचहत्तर हजार चार सौ एकसठ) रूपये मात्र का भुगतान हो चुका है।

अगली बैठक दिनांक–13.05.2026 (बुधवार) पूर्वाह्न 10:00 बजे निर्धारित की जाती है।

29/04/26

(निरंजन कुमार)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–1634 पटना, दिनांक–30.4/2026

प्रतिलिपिः– निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर/ निदेशक, खेल विभाग/ संयुक्त सचिव, खेल विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, खेल विभाग/सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर/सहायक निदेशक (युवा)/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–05), खेल विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, खेल विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

29.4.26

29/04/26

संयुक्त सचिव।